# राष्ट्रीय आवास बैंक
# नई दिल्ली

12 नवंबर, 2021

## प्रेस विज्ञप्ति

## रा.आ.बैंक: पुनर्वित्त के तहत बढ़ी हुई रियायतें
## उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख पर फोकस

"आज़ादी के अमृत महोत्सव" के अवसर पर, रा.आ.बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को दिए गए वैयक्तिक आवास ऋण के पुनर्वित्त पर ब्याज दर रियायतों में वृद्धि की है। ग्रामीण आवास, हरित आवास, 10 लाख रूपये तक के छोटे आकार के आवास ऋण, महिलाओं एवं दिव्यांगों को दिए गए आवास ऋण पर फोकस करते हुए, रा.आ.बैंक ने बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों को अपनी पुनर्वित्त उधार दरों के तहत 25 आधार बिंदु रियायतें दी हैं। आकांक्षापूर्ण जिलों में सभी वैयक्तिक आवास ऋणों को भी पुनर्वित्त में 25 बीपीएस की रियायत प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं को दिए गए आवास ऋण के संबंध में यह रियायत 30 बीपीएस है।

इसके अतिरिक्त, कम निवेश वाले क्षेत्रों में औपचारिक आवास ऋण के प्रवाह को बढ़ाने पर फोकस करने के लिए, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बैंकों/आ.वि.कं. द्वारा दिए गए आवास ऋण के एवज में पुनर्वित्त के संबंध में 25 बीपीएस की रियायत पुरःस्थापित की गई है।

ये बढ़ी हुई रियायतें दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान रा.आ.बैंक द्वारा सभी नए पुनर्वित्त संवितरण हेतु उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा की जाने वाली इन विशेष पहलों के परिणामस्वरूप बैंकों/आवास वित्त कंपनियों द्वारा समाज के निचले तबके को तथा विशेष फोकस वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि होगी।

अधिक जानकारी रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर उपलब्ध है।

*　　*　　*